

### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

फैक्स Fax : 0172-2604671

दूरभाषकार्यालय : 0172-2602607

Telephone Office: 0172-2602607

Email : phc.gdc.soi@gov.in



**भारतीय सर्वेक्षण विभाग** SURVEY OF INDIA

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

भू-स्थानिक निदेशालय, चण्डीगद्र। PUNJAB, HARYANA, HIMACHAL PRADESH &

CHANDIGARH GEO- SPATIAL DIRECTORATE

सैक्टर 32-ए, चण्डीगढ़ - 160030 Sector 32 – A, Chandigarh – 160030

Sector 32 - A, Chandigain - 100030

. सं. प्रशा.-5919/37-जी-9

दिनांक:- 06 सितम्बर, 2024

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ, भू-स्थानिक निदेशालय का नेमी आदेश सं. 10 दिनांकः- 06-09-2024 Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh Geo-Spatial Directorate Routine Order No. 10 Dated 06-09-2024

# (क) सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नयन योजना (ए.सी.पी. स्कीम) :-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 वं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के पत्र सं0ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0जी0-35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पी0बी0-2 रूपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रूपये 4800 में प्रदान किये गये द्वितीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्रम स.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वैतनमान	प्रदान करने की तिथि
1.	श्री वाई. एस. रावत सुपुत्र स्व. श्री जी. एस. रावत, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत)/ Sh. Y.S. Rawat S/o Late Sh. G.S. Rawat, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी. (पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	रुपये 10,000-325- 15,200/-	15-12-2007

(प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2904/1902-ए.सी.पी.-2(ओ.एस.) /संग्रह-12 दिनांक 24-08-2024) (Authority:- Survey General of India office letter No. C-2904/1902-ACP-II

#### (OS)/Coll.XII Dated:- 24-08-2024)

## (ख) संशोधित सुनिधित कैरियर प्रौन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी. स्कीम) :-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 ए-11019/ 1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0जी0-35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पी0बी0-2 रूपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रूपये 5400 में प्रदान किये गये तृतीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पी०बी०-3 रूपये 15,600-39100+ग्रेड पे रूपये 7600/- के वेतनमान में तृतीय वितीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	तृतीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री वाई. एस. रावत सुपुत्र स्व. श्री जी. एस. रावत, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत) / Sh. Y.S. Rawat S/o Late Sh. G.S. Rawat, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी.(पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)		15-12-2015

(प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं.सी-2930/1902- एम.ए.सी.पी.**-3(OS)**/ संग्रह-10 दिनांक 24-08-2024)

(Authority:- Survey General of India office letter No. C-2930/1902-MACP-III (OS)/ Coll.X Dated:- 24-08-2024)

### 2. (क) सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नयन योजना (ए.सी.पी. स्कीम) :-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेस दिनांक 01-03-2024 वं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के दिनांक 17-08-1999 के पत्र सं.-1-3/97-सी0डी0एन0 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 09-08-1999 कार्यालय ज्ञापन सं0जी0-35034/1/97-स्था0(डी) में निहित अनुदेशों के अनुसार ए०सी0पी0 योजना के अन्तर्गत 6500-200-10500 रूपये के वेतनमान में प्रदान किये गये प्रथम वितीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु ए०सी0पी0 योजना के अन्तर्गत 6500-200-10500 रूपये के वेतनमान में प्रथम वितीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

		प्रथम ए.सी.पी.
		i

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	प्रदान करने की तिथि
1.	श्री जगमोहन सिंह नेगी सुपुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक सेवानिवृत्त / Sh. Jagmohan Sing Negi S/o Late Sh. Mangal Singh, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी.(पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	रूपये 6500-200- 10500/-	07-10-1999

(प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2892/1902-ए.सी.पी.(सर्वेक्षक)/ संग्रह-8 दिनांक 24-08-2024)

(Authority:- Survey General of India office letter No. 2892/1902-ACP (Surveyor) / Coll.VIII Dated:- 24-08-2024)

### (ख) संशोधित स्विधित कैरियर प्रौन्नयन योजना ( एम. ए. सी. पी.सकीम):-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं मंत्रालय के पत्र सं. SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिच्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रोचोगिकी विभाग के पत्र सं0 ए-11019/ 1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0जी0-35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पी0बी0-2 रुपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रुपये 4800 में प्रदान किये गये द्वितीय वित्तीय उन्नयन को संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार प्रदान किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	वेतनमान	द्वितीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री जगमोहन सिंह नेगी सुपुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत) / Sh. Jagmohan Sing Negi S/o Late Sh. Mangal Singh, Officer Surveyor (Retd.)		पी0बी0-2 रुपये 9,300- 34,800+ ग्रेड पे रुपये 4800/-	01-09-2008

(प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2918/1902-एम.ए.सी.पी.-2 (OS)/ संग्रह-8 दिनांक 24-08-2024)

(Authority:- Survey General of India office letter No. 2918/1902-MACP-II (OS)/Coll.VIII Dated:- 24-08-2024)

## (ग) संशोधित सुनिश्वित कैरियर प्रौन्नयन योजना ( एम. ए. सी. पी.स्कीम):-

मूल आवेदन सं.-1667/2019 के संबंध में माननीय कैट, प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के दिनांक 02-02-2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं मंत्रालय के पत्र सं. 1/122433/2024

SM/04/04/2020 दिनांक 17-05-2024 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में पूर्व में प्रदान की गई एम.ए.सी.पी. को रिव्यू (Review) किया गया तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०जी०-35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसार एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पे मैट्रिक के लेवल 9/10 में प्रदान किये गये तृतीय वितीय उन्नयन को संशोधन करते हुये निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों हेत् एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत पे मैट्रिक के लेवल 10\* में तृतीय वितीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

\*(In accordance with DST's Instructions issued vide their letter No.SM//04/13/2015 dated 9th November, 2020 endorsed vide this office letter No.J-1794/2158-7th CPC dated 10th November, 2020)

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	पे मैट्रिक्स लेवल	तृतीय एम.ए.सी.पी. प्रदान करने की तिथि
1.	श्री जगमोहन सिंह नेगी सुपुत्र स्व. श्री मंगल सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवृत्त)/ Sh. Jagmohan Sing Negi S/o Late Sh. Mangal Singh, Officer Surveyor (Retd.)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी.डी.(पूर्व में हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) / Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D. (Erstwhile Himachal Pradesh GDC)	लेवल-10∗	07-10-2017

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2946/1902-MACP-III (OS)/Coll.X दिनांक 24-08-2024)

(Authority:- Survey General of India office letter No.C-2946/1902-MACP-III (OS)/Coll.X Dated:- 24-08-2024)

इस मद पर होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा।

(संजय कुमार) / (Sanjay Kumar)

निदेशक / Director

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ जी.डी. /

Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh G.D.

## PHCGDC-ADM037(G9)/1/2023-PBHCHD-NORTHERN ZONES

1/122433/2024

#### वितरणः-

- 1. भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित । (ई-मेल)
- 2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित । (ई-मेल)
- 3. प्रभारी विभागीय वैबसाइट को कृप्या यह आदेश "Routine Orders & Circular" tab में प्रकाशित करने हेतु । (admn.soi@gov.in)
- 4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित । (ई-मेल)
- 5. कार्यालय अधीक्षक, आदान अनुभाग को सूचनार्थ ।